वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *149

31 जुलाई, 2026 को जवाब दिया

अमेरिका को किए जाने वाले वस्त्रों और परिधानों के निर्यात में गिरावट

***149. श्री नीरज डांगी:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के अमेरिकी बाजार में वस्त्र और परिधान निर्यात में 28.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वियतनाम के निर्यात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार बाजार हिस्सेदारी के इस नुकसान और रोजगार पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत के लिए बेहतर शुल्क/व्यापार समझौते (ट्रेड डील) सुनिश्चित कर पाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से निर्यात के ऑर्डर वापस भारत लाने के लिए कोई ठोस और समयबद्ध योजना है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2026 को श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे गए राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *149 "अमेरिका को किए जाने वाले वस्त्रों और परिधानों के निर्यात में गिरावट" के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारत के वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक निर्यात ने सुदृढ़ता और सतत वृद्धि प्रदर्शित की है। यह निर्यात वर्ष 2024 में 36,706 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 36,952 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 0.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान 100 से अधिक निर्यात गंतव्यों में वृद्धि दर्ज की गई।वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक आयात में 4.2 प्रतिशत

की गिरावट आई और यह वर्ष 2024 के 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2025 में 113.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इसके बावजूद, अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 8.83 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2025 में 8.84 प्रतिशत हो गई। यह भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की निरंतर प्रतिस्पर्धात्मकता, सुदृढ़ बाजार उपस्थिति तथा बढ़ते भौगोलिक विविधीकरण (Diversification) को दर्शाता है।

(स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप)

सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) के लिए संलग्न है।

निर्यात ऑर्डर शुल्क, वैश्विक मांग, कच्चे माल एवं लॉजिस्टिक्स लागत, विनिमय दर, बाजार तक पहुंच तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे वाणिज्यिक कारकों से प्रभावित होते हैं। अतः सरकार के उपाय किसी विशेष देश से ऑर्डर वापस लाने के स्थान पर भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। सरकार ने भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा करने तथा भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यातकों, उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया है। सरकार ने भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहलें कार्यान्वित की हैं।

ये उपाय देश के निर्यात में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। प्रमुख योजनाओं और पहलों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स योजना (PM MITRA Parks Scheme), उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM), समर्थ—वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, सिल्क समग्र-2, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम तथा व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission—EPM), जिसमें निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा शामिल हैं, तथा निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters—CGSE) प्रारंभ की गई हैं। सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांतों पर आधारित परिधान/गारमेंट्स एवं मेड-अप्स के लिए राज्य एवं केंद्रीय करों तथा उपकरों की छूट (RoSCTL) योजना भी लागू की गई है। RoSCTL योजना के अंतर्गत आच्छादित न होने वाले वस्त्र उत्पादों को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की प्रतिपूर्ति (RoDTEP) योजना के अंतर्गत अन्य गैर-वस्त्र क्षेत्रों के साथ सहायता प्रदान की जाती है।

कपास पर आयात शुल्क को 19 अगस्त, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक छूट प्रदान की गई थी तथा इसे पुनः 1 जून, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक छूट प्रदान की गई है। मानव-निर्मित फाइबर (Man-Made

Fibre—MMF) मूल्य शृंखला में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल, जिनमें पी.टी.ए. (PTA) और एम.इ.जी. (MEG) शामिल हैं, पर आयात शुल्क से भी अस्थायी छूट प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वस्त्र क्षेत्र सहित उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार राहत उपाय, 2025 जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, वस्त्र क्षेत्र में अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (Quality Control Orders—QCOs) के अंतर्गत आने वाले इनपुट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की अवधि छह माह से बढ़ाकर अठारह माह कर दी गई है।

निर्यात तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने छह वस्त्र निर्यात सुविधा केन्द्र (Textile Export Facilitation Centers-TEFC) स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 'इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोग्राम' भी प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य डिजाइन और फैशन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के समक्ष भारत के वस्त्रों, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत तथा डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करना है।

भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement—CETA) सहित सोलह मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पहले से लागू हैं। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है तथा भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने तथा निर्यात बाजारों में विविधता लाने के अवसर प्रदान करते हैं।

इन उपायों का उद्देश्य निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना तथा वस्त्र मूल्य शृंखला में, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-बहुल क्षेत्रों में, रोजगार सृजन को सहायता प्रदान करना है।

*****